न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 40/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00372

अपीलांटगण :-	बनाम	रेस्पोडेन्टगण :-
सकाराम पुत्र श्री वेनाराम, जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिंगोला तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)		1. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी बदारामजी 2. उमेशकुमार पुत्र बदारामजी 3. संतोष देवी पुत्री बदारामजी 4. नारायणी देवी पुत्री बदारामजी 5. गुलाबी देवी पुत्री बदारामजी 6. किशोरकुमार पुत्र बदारामजी 7. एकमकुमारी पुत्री बदारामजी (रेस्पोडेण्टस संख्या 6 व 7 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती प्यारीदेवी) तमाम जातिगण कुम्हार निवासीगण ग्राम हिंगोला तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 8. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सुमेरपुर(राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित
रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की और से अधिवक्ता चेतन आगरी उपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 12/7/21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा हिंगोला पटवार हल्का गोगरा, तहसील सुमेरपुर के नामान्तरकरण संख्या 1056 दिनांक 19.5.2017 जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है म्याद बाहर होने से अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। एवं मातहत अदालत से मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि सरहद मौजा हिंगोला तहसील सुमेरपुर में खसरा नंबर 473 रकबा 2.20 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम/जाव दोयम की सहखातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त सम्पूर्ण सह खातेदारी क ृषी भूमी के खातेदार कपूराराम, बदाराम, बाबूलाल, लच्छाराम पुत्र दीपारामजी 2/5 हिस्सा व कनिया पत्नी पेमाजी का 1/8 हिस्सा है। उपरोक्त सभी सहखातेदार होने से में जरिये बख्शीशनामा दिनाँक 28.10.2016 को उक्त कृषि भूमी बख्शीश कर दी थी उक्त बख्शीशनामा दिनांक 28.10.2016 को जो उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 348 पृष्ठ संख्या 18 क्र.सं. 2016003378 पर पंजीबद्ध है, उक्त बख्शीशनामा की प्रति पत्रावली संलग्न है। उक्त बख्शीशसुदा भूमी का कब्जा बख्शीश-गृहीता को बख्शीश कर्ता द्वारा सुपुर्द कर दिया गया था। तथा बख्शीशग्रहिती अपीलांट आज भी उक्त भूमी पर काबिज है व उपभोग , उपयोग कर रहा हैं पटवार हल्का को बख्शीशनामा इन्द्राज हेतु फोटोप्रति वास्ते रेकर्ड में इन्द्राज हेतु दिनांक 15.11.2016 को पेश की थी एवं पटवार हल्का द्वारा अपीलांट को आश्वस्त करने पर वह निशिचिन्त हो गया था हाल ही में अपीलांट को कृषि ऋण ग्रहण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड [illegible] पर अपीलांट पटवार हल्का के पास राजस्व रेकर्ड की नकले लेने दिनांक [illegible].7.2[illegible]8 को गया तब पटवार हल्का ने इन्द्राज नहीं होने की जानकारी [illegible] उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण संख्या 1056 दिन[illegible] राजस्व केम्प गोगरा [illegible]ज किया जाने की जानकारी दी। जिन्हें खारिज फरमाया [illegible]कर बदाराम के वारि[illegible]के स्थान पर बक्षीशगृहीता अपीलांट सकाराम के नाम का इन्द्राज कराने के आदेश फरमावे। तथा अपीलांट को जानकारी दिनांक 26.7.2018 को पटवार हल्का के पास जाने पर हुई तथा अपील 20.8.2018 को कर दी थी इसलिए अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाने के आदेश प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:36:21 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

उपस्थित वकील रेस्पोडेंट ने बख्शीशनामा होना एवं उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं किया जाना स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि नामान्तरकरण 19.5.2017 को स्वीकृत किया गया तथा बख्शीशनामा 28.10.2016 को किया गया एवं अपील 20.8.2018 को पेश की गई इस प्रकार अपील म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस को सुना गया मूल नामान्तरकरण संख्या 1056 दिनांक 19.5.2017 का अवलोकन किया गया। अपीलांट के पक्ष में भूमी का बख्शीशनामा 28.10.2016 को ही पंजीकृत सुदा है तथा पटवार हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया गया इसके लिए अपीलांट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है तथा इस आधार पर अपीलांट को अपने हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है प्रस्तुत अपील हक अधिकारों से सम्बन्धित होने से जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते है। इस अपील में दो विचारणीय बिन्दु है :–

1. क्या बख्शीशनामा पंजीयन सुदा है।
2. नामान्तरकरण में इन्द्राज बख्शीशनामा अनुसार नहीं कर बख्शीशकर्ता बदाराम के वारिसान का किस आधार पर किया गया है जो सही है या नहीं।

अपीलांट सकाराम के हक में सम्पादित बख्शीशनामा उपपंजीयक सुमेरपुर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 348 पृष्ठ संख्या 18 क्र. सं. 2016003378 पर दिनांक 28.10.2016 को पंजीबद्ध सुदा है तथा रजिस्टर्ड पंजीकृत बख्शीशनामा की प्रति का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिक द्वारा किया जाना आज्ञापक प्रावधान है लेकिन पटवार हल्का को अपीलांट द्वारा दिनाँक 15.11.2016 को मय प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत भी नही करना उल्लेखित किया है जो विधीसम्मत नहीं है इसी वजह से अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया तथा बख्शीशकर्ता के वारिसान का इन्द्राज कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से नामान्तरकरण अपास्त योग्य है। नामान्तकरण में इन्द्राज बख्शीशनामा अनुसार न कर बिना पूछताछ व इन्कवायरी के बदाराम के फौत होने के पश्चात वारिसान के नाम नामान्तरकरण इन्द्राज कर दिया जबकि बदाराम द्वारा मृत्यु पूर्व सम्पादित बख्शीशनामा की प्रति पटवारी हल्का को अपीलांट द्वारा दिनांक 15.11.2016 को ही पेश कर देने पर कर दिया जाना था ऐसा नहीं कर पटवार हल्का द्वारा विधिक त्रुटि की है जिसका खामियाजा अपीलांट को नहीं भुगताया जा सकता है न ही यह न्यायोचित ही है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1056 ग्राम हिंगोला बाबत खसरा नंबर 473 रकबा 2.20 किस्म गैर मुमकिन चाही दोयम जो तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 19.5.2017 के स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुमेरपुर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बख्शीशगृहिता, बदाराम के वारिसान एवं अन्य सभी खातेदारान को सुना जाकर बाद जांच नियमानुसार अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृती की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2021.08.16 19:36:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली